प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भगाराम पुत्र चेनाराम जाति देवासी रॉयल इन्फोटेक,महावीर मार्केट रामसीन 307803		राज्य लोक सूचना अधिकारी, श्री कल्पेश कुमार उप तहसीलदार रामसीन
प्रकरण अपील		34 /2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

26.12.2018	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 15.01.2018 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	
15.01.2019	अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपतहसीलदार) रामसीन का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपतहसीलदार)रामसीन ने जवाब में व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित सूचना कार्यालय के पत्रांक/279 दिनांक 27.11.2018 द्वारा अपीलांट को भिजवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील में चाही जा रही सूचना न तो रेस्पोडेन्ट के कार्यालय से संबंधित है न ही राजस्व विभाग से संबंधित है।अपील खारिज की जाये। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपतहसीलदार रामसीन) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही सूचना के संबध में उपतहसीलदार रामसीन के कार्यालय में उपलब्ध नही होने बाबत सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/279 दिनांक 27.11.2018 द्वारा सूचित किया जाना पाया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। Sd/- (महेन्द्र सोनी) प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 18:09:52 IST
Reason: SelfAttested